

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

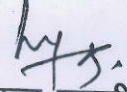
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एस-730/88)/अलेसे-11/

दिनांक :- 03/02/2017

कार्यालय आदेश

श्री संजय कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 392 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 24.05.2016 को ट्रेप करने एवं न्यायायिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 24.05.2016 से निलम्बित किया गया था। श्री संजय कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु श्री जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री संजय कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलम्बित) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 24.11.2016 से 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

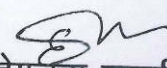

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एस-730/88)/अलेसे-11/2086

दिनांक :- 03/02/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. कोषालय (ग्रामीण), जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री संजय कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निल.), मुख्यालय, कोषालय (ग्रामीण), जयपुर।
5. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/एसीपी सीट/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)